न्यायालय सहायक कले. (फास्ट ट्रेक) निवाई, जिला टोंक।
डॉ. नीलम मीणा, RJS द्वारा सहपासित।

वाद सं. - 88/2018
निर्णय दि. - 12/3/22

उनवान

1. तोफ बाई बेवा सुलतान सिंह 72y
2. भंवर बाई पुत्री 56
3. राज बाई पुत्री 53y } सुलतान सिंह
4. अन्तर बाई पुत्री 38y
5. नीतू कंवर पुत्री शंकर सिंह
6. भंवर कंवर पत्नी शंकर सिंह

} जाति राजपूत निवासी नाहरवाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक (राज.)।

— वादीगण

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
2. पप्पू सिंह उर्फ खेमराज सिंह पि.मु. छीतर सिंह
3. हरिओम पुत्र शंकर सिंह
4. नन्द सिंह पुत्र } सुलतान सिंह
5. जितेन्द्र सिंह पुत्र

} जाति राजपूत निवासी नाहरवाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक राज.।

6. तहसीलदार निवाई।
7. उप पंजीयक निवाई।

— प्रतिवादीगण

- दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित - 1. रामावतार शर्मा वकील वादीगण
2. सतीश कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण नं. 1, 2
3. रवि प्रकाश पारीक प्रतिवादीगण 3 ता 5

निर्णय

- वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

Scanned with OKEN Scanner

- ओराजी खसरा नं. 146, 119, 145, 252 वाके ग्राम नाहरखाड़ी तहसील निवाई में स्थित है। जो वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के हिस्से में मार्फ बंटवारा आई है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम भी इन खसरा नं. के रिकोर्ड में दर्ज है, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्से में खसरा नं. 243, 359 व 65 आए है। जिनमें वादीगण का नाम भी रिकोर्ड में अंकित है। प्र. वा 1 व 2 ने इनका बेचान कर सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। अतः इन खसरा नम्बरान से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हटाया जाकर वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा 6 व 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें।

- वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रिकोर्ड किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण को गई। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी नं. 1 व 2 खसरा नं. 145, 146, 119, 252 में अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 से मिलीभगत कर प्रतिवादीगण की भूमि हड़पने के लिए दावा पेश किया है। उक्त भूमि का मौके पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 रिकोर्डेड सह खातेदार है। जिन्हे पाबन्द करवाने का वादीगण को अधिकार नहीं है। अतः वाद खारिज फरमावें।

- वादीगण व प्र. वा. की ओर ओर से हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा मय अधिवक्तागण प्रस्तुत किया गया।

[signature]

पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात व राजीनामें का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक राजीनामा खसरा नं. 119, 145, 146, 252 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्से जो कि आरा. बट में वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के हिस्से में आए है का वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम इन खसरा नम्बरान से हजब किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

- निर्णय आज दिनांक 12-3-2022 को खुले न्यायलय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

[signature]
12/3/2022
डॉ. नीलम मीणा
RAS.

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः– 88/2016

निर्णय दिनांकः–12.03.2022

उनवान

तोफ बाई बनाम भगवानसिंह वगै0

दावा बाबत उद्घोषणा एवं खातेदारी दुरूस्थी इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा ब हाजरी श्री रामावतार शर्मा वकील वादी व श्री सतीश कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण 1 व 2, श्री रविप्रकाश पारीक वकील प्रतिवादीगण 3 ता 5 मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा खसरा नम्बर 119, 145, 146, 252 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्से जो कि भाई बट में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हिस्से में आए है का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 03 सन् 2022 को जारी की गई।

12/3/22

सहायक कलेक्टर

(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner